न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 26 / 2001

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 अणची बेवा मालाराम दौराने अपील फौत बेवा मालाराम।
2 फुलाराम पुत्र मालाराम।
3 उम्मेद पुत्र मालाराम दौराने अपील फौत।
3 / 1 ज्ञानवती पत्नी उम्मेद।
3 / 2 सरोज उम्र 20 साल पुत्र उम्मेद।
3 / 3 अनिल उम्र 19 साल पुत्र उम्मेद।
3 / 4 सुभिता उम्र 18 साल पुत्र उम्मेद जाति समस्त जाट निवासी सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 / 5 कुमारी रिंकु उम्र 17 साल पुत्र उम्मेद।
3 / 6 कुमारी सुभिता उम्र 15 साल पुत्र उम्मेद जरिये नाबालिग माता सरबती पत्नी उम्मेद जाति जाट निवासी सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
4 राजेन्द्र पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 पतासी पत्नी भोलाराम।

2 मोहरसिंह पुत्र भोलाराम।

3 होशियार सिंह पुत्र भोलाराम।

4 पपु पुत्र भोलाराम दौराने अपील फौत समस्त जाति जाट निवासी सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

4/1 सुभिता बेवा पप्पु।

4/2 विपिन पुत्र पप्पु।

4/3 विपिन पुत्र पप्पु समस्त जाति जाट जरिये नाबालिग माता सुभिता।

5 किताब पुत्री भोलाराम पत्नी बनवारी लाल जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

6 छोटी पुत्री भोलाराम पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

7 मन्जु पुत्री भोलाराम पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी छावसरी।

8 मन्जु पुत्री भोलाराम पत्नी मन्दरूप जाति जाट निवासी छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

9 श्रवण पुत्र धीराराम जाति जाट निवासी सोलाना दौराने अपील नाऔलाद फौत

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व दिनांक 26.02.2001 बअदालत सहायक जिलाधीश उदयपुरवाटी मु.नं.43/99 उनवानी अणची बनाम भोलाराम अ.रूल 13 व 22 रूल 19 जा.दी.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थित

1. श्री रामचन्द्र अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–30.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय झुंझुनू द्वारा मुकदमा संख्या 41/99 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2001 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी अणची आदि ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 111/1997 भोला बनाम अणची लम्बित था जिसमें दिनांक 17.01.1998 को प्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही कर दिनांक 15.07.1998 को वाद वादी डिक्री किया गया इसके विरूद्व प्रार्थीगण ने एकतरफा कार्यवाही मनसुख करवाने के लिए आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अन्तर्गत आवेदन संख्या 41/1999 प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया दौराने सुनवाई आवेदन आदेश 9 नियम 13 अप्रार्थी भोलाराम की मृत्यु होने पर आवेदकगण ने आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर विचारण न्यायालय ने बहस सुनकर निर्णय दिनांक 26.02.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

2001 से आवेदन अबैट मानते हुये खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में एकपक्षीय आदेश हुआ एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करवाने के लिए आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन पेश किया जो विचाराधीन आदेश से खारिज कर दिया। अपीलांट की तामील समयक नही हुई उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार दोनों भाईयों ने घोषणा करवा ली भूमिधारकों पक्षकार नही बनाया कालुराम वादीगण का मामा था अपीलांट को बेदखल करने लगे तब डिक्री की जानकारी हुई इस पर आदेश 9 नियम 13 का आवेदन लेकर आये विचारण न्यायालय ने आदेश 22 नियम 4 के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय को न्यायहित में सुनवाई का अवसर देना चाहिए था। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की समक्ष दिनांक 26.07.2000 को यह सूचना आई कि भोलाराम फोत हो गया है इसका उल्लेख आदेशिका में आया है दिनांक 13.12.2000 को कायम मुकाम की अर्जी प्रस्तुत हुई अबैटमेंट निरस्त करने का कोई आवेदन पेश नही हुआ रेवन्यू कोर्ट मेन्यूअल के नियम 17 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक आवेदन के साथ शपथ पत्र लगाना चाहिए विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे राजस्थान 2012(3) पेज 1715 एवं आर.बी.जे 2001 पेज 227 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के समक्ष दिनांक 26.07.2000 को अपीलांट के अधिवक्ता ने स्वयं ने भोलाराम की मृत्यु होना एवं उनके विधि वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु कायम मुकाम की कार्यवाही करना चाहने का निवेदन किया। इसकी पुष्टि विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 26.07.2000 से होती है। इसके उपरान्त 90 दिन तक कायम मुकाम की कार्यवाही नही की गई ऐसी स्थिति में आवेदन स्वत अबेट हो चुका है अपीलांट ने इस अबैटमेंट को निरस्त करवाने बाबत भी कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में इस सम्बंध में स्पष्ट रूप से अभि निर्धारित किया गया है कि:

सिविल प्रकिया संहिता 1908–आदेश 22 नियम 4– उपसमन– प्रतिवादी आर की 13.08.2007 को मृत्यु हुई– विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन हेतु 16.04.2009 को आवेदन पेश किया–आवेदन खारिज किया–परिसीमा में आवेदन पेश नही किया– बिना किसी स्पष्ट आदेश के उपसमन स्वत है– निर्णीत, आवेदन सही खारिज किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर